# वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
# (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

## भाग–4

**(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)**

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमण्डल अंतर्गत 4.53 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.53 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 13/08/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

Form -4 (Vividh) 2020 (1)

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in


क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–826/1494 नया रायपुर, दिनांक 13/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division" Bharat Net project .which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.53 ha. regarding.**
**पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42451/2019**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/मा. चि./2020/ 524 दिनांक 28.02.2020 एवं पत्र क्रमांक/ 1586 दिनांक 03.07.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्रं. | विवरण | पृष्ठ क्र |
|---|---|---|
| 1. | **आवेदक विभाग का मांग पत्र–**<br>आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. द्वारा परिक्षेत्रा चारामा, नरहरपुर, सरोना, कांकेर के वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्रा में प्रस्तुत किया है। | 1 |
| 2. | **रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–**<br>अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. रायपुर के कार्यालयीन पत्रा क. भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115/826/3132 दिनांक 17.12.2019 द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **Reg.FP/ CG/ OFC/42451/2020** आबंटित किये गये है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू. 24,000/– जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न। | 2 .3 |
| 3. | वन क्षेत्र विवरणः– कांकेर वनमंडल के परिक्षेत्रा चारामा, नरहरपुर, सरोना, कांकेर के आरंक्षित, संरक्षित तथा नारंगी/राजस्व वन भूमि के रकबा 4.530 हे. वनभूमि का प्रत्यार्वतन किया जाना है। जिस वन भूमि का घनत्व 0.6 से कम है। | 4.13 |
| 4. | **गैर वन क्षेत्र विवरणः–** भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अधिनिस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने के लिए मार्गो के समान्तर राईट ऑफ वे तहत ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाई जायेगी, जिसमें प्रभावित गैर वन क्षेत्रा का कूल रकबा 27.373 हे. है। | 14 |
| 5. | **प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–**<br>प्रस्तावित वन क्षेत्रा का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्रा संलग्न हैं। मानचित्रा का टोपोशीट क्रमांक 64 **H/6,7,10,11,12,15,16** है। जिस पर आवेदित वन क्षेत्रा को सुपर इम्पोज कर दर्शित किया गया है। मानचित्रा अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित है। | 15.17 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | **वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:–** वन क्षेत्रा का इंडेक्स मैप संलग्न है। | 18.28 |
| 7. | **प्रपत्र–4 में प्रस्ताव:–** प्रपत्रा – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 59 करोड़ 8 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि उद्देश्यों की पूर्ति में सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है तथा प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्रा की मांग की गयी है। | 29.36 |
| 8. | **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:–** तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी। | 37.39 |
| 9. | **न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:–** यूजर एजेंसी का वचन पत्रा संलग्न है जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी हस्ताक्षरित है। | 40 |
| 10. | **अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही:–** वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। | 41 |
| 11. | **वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:–** भाग–2 पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.02.2020 को स्थल निरीक्षण (प्रस्ताव पृष्ठ 51 से 56) के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्रा का घनत्व 0. 6 से कम है। प्रस्तावित वन क्षेत्रा किसी राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की सीमा से 10 कि.मी की दूरी में स्थित नहीं है एवं प्रस्तावित वन क्षेत्रा में वन संरक्षण अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। | 42.59 |
| 12. | **ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:–** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्रा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित यूजर एजेंसी एवं अधोहस्ताक्षरी का संयुक्त प्रमाण पत्रा संलग्न है। | 60 |
| 13. | **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तिसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजुदा राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल केबल लाईन बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्रा की आवश्यकता नहीं हैं, का कथन यूजर एजेसी द्वारा की गई है। | 61.64 |
| 14. | **जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:–**<br>कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल का कुल वन भूमि 70527.29 हे. है। | 65 |
| 15. | **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–**<br>प्रस्ताव पृष्ठ 66 पर स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि का विवरण संलग्न है। कांकेर वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कुल 126.569 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में प्रभावित हुई है। | 66 |
| 16. | **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** इस श्रेणी के 1 प्रकरण में वन भूमि का रकबा 0.313 हे. प्रभावित हुई है। | 67 |
| 17. | **प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** अधोहस्ताक्षरी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। | 68 |
| 18. | **वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रा कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 06.12.2019 जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न हैं। | 69.70 |
| 19. | **राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर उ.ब कांकेर के पत्रा क. 1479 दिनांक 06.12.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्रा जारी की | 71.74 |

| | | |
|---|---|---|
| | गई है। जो प्रस्ताव के पृ.क 72 से 74 में संलग्न है। | |
| 20. | **पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009)**:– प्रस्ताव के पेज क्रमांक 75 में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है। | 72 |
| 21. | **राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ की अनुसंशा**:– ऑप्टिकल फायबर केबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उघान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है, के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 76 |

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

**संलग्नः–**

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

**(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)**

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़